



UPMO240040172020

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, (मुरादाबाद)
पीठासीन अधिकारी. (प्रीति मोगा) - उ०प्र० न्यायिक सेवा .UP02377

सरकार

बनाम

संजय

वाद. सं.—3600 / 2020

धारा—34 पी.एक्ट।

थाना—भोजपुर

आदेश

12.12.2020

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त को धारा 34 पी.एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए मु०—10 /—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 1 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतेजा।

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।